



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.03.2023

1-थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06/03/2023 को थाना जेवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त 1.राहुल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर 2.सोहिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 03/03/2023 को वादी द्वारा थाना जेवर पर लिखित तहरीर दी गयी की अभियुक्त 1.सोहिल 2.राहुल पुत्रगण खुर्शीद 3.शराफत पुत्र लियाकत 3.पप्पु पुत्र लीला निवासीगण ग्राम किशोरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर के द्वारा छुट्टा पशुओं को डंडे से मारकर भगा रहे थे, वादी के मना करने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट/गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में थाना जेवर पर मु0अ0सं0 51/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.राहुल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.सोहिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 51/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

2-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.03.2023 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे 02 अभियुक्त 1-नीरज यादव पुत्र स्व0 टीकम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर, गौतमबुद्धनगर 2-अरूण पुत्र स्व0 गंगा राम प्रजापति निवासी गांव तिवरा, थाना सियाना, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता बबिता कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के हनुमान मन्दिर के पास, बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना सेक्टर-63 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2023 धारा-323/504/452/302 भादवि में वांछित थे।

घटना का विवरण:

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 04.03.2023 को थाना सेक्टर-63 पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त 1-नीरज यादव व 2-अरूण द्वारा वादी मुकदमा के भाई शिवा शर्मा के साथ घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने की नियत से छत से फेक देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 105/2023 धारा 323/504/452/307 भादवि पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान वादी मुकदमा के भाई शिवा की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियुक्तों का विवरण:

1-नीरज यादव पुत्र स्व0 टीकम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2-अरूण पुत्र स्व0 गंगा राम प्रजापति निवासी गांव तिवरा, थाना सियाना, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता बबिता कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

मु0अ0सं0 105/2023 धारा 323/504/452/302 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।